फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

जगदीश बनाम सांवरमल

केस संख्या : 61/25

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	19/9/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी 1ता 2 ने मूलवाद के प्रा०पत्र 151 पेश किया कर अप्रार्थी 1ता 2 का जवाब पेश किया। प्रा०पत्र 151 हेतु दिनांक वास्ते जवाब बहस 26/9/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	26/09/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप। प्रा०पत्र 151 पर बहस सुनी गई। न्यायहित में प्रा०पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड पर लिया जाता है। वास्ते जवाब प्रा०पत्र बहस दिनांक 08/10/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	08/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 13/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	13/10/25	पत्रावली प्रस्तुत। प.के.उप.। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों के आधार पर मामला, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है अतः दिनांक 23/5/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थायी किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी: सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 61/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 23.05.2025

1. जगदीश पुत्र नाथूराम
2. रामचन्द्र पुत्र नाथूराम
3. लादूराम पुत्र नाथूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम टाडावास तहसील जालसू जिला जयपुर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. सांवरमल पुत्र घीसाराम
2. रामलाल पुत्र घीसाराम
3. बाबूलाल पुत्र घीसाराम
4. कन्हैयालाल पुत्र घीसाराम
5. संजय पुत्र अजीतपाल
6. कमली देवी पत्नी अजीतपाल
7. नाबालिग अर्चना पुत्री अजीतपाल संरक्षिका माता कमली देवी समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम टाडावास तहसील जालसू जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर।

......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 13.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ग्राम टाडावास, पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर के वादी के खसरा नम्बर 304/937 रकबा 0.1300 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 305/946 रकबा 2. 2100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.3400 हैक्टेयर स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हैं। उक्त भूमि के साबिक खसरा नम्बर 507 थे। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 305/946 रकबा 2.2100 हैक्टेयर को प्रार्थना पत्र के आगे के मदो में भूमि विवादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। गत खसरा नम्बर 507 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा थे। उक्त गत खसरा नम्बर 507 की खातेदारी मदन सिंह पुत्र भंवर सिंह जाति राजपूत निवासी टाडावास जयपुर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थी। पूर्व खातेदार मदन सिंह पुत्र भंवर सिंह से उक्त भूमि खसरा नम्बर 507 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा में से 9 बीघा 5 बिस्वा को प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/2/1992 को क्रय कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया तथा उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक आमेर के यहां रजिस्टर्ड नम्बर 137 बुक नम्बर 1 वॉल्यूम नम्बर 136 पेज नम्बर 56 पर दिनांक 17/2/1992 को पंजीबद्ध किया गया जिसके आधार पर प्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया गया, तथा प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:37 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

हैं। प्रार्थीगण की उक्त क्रयशुदा भूमि 9 बीघा 5 बिस्वा का दौराने सेटलमेन्ट हाल खसरा नम्बर 305/946 बनाये गये राजस्व कर्मचारियों/सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा उक्त भूमि का रकबा बीघा बिस्वा से हैक्टेयर में परिवर्तित करते समय 2.29 हैक्टेयर के स्थान पर 2.21 हैक्टेयर कायम कर दिया गया। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश/निर्णय के प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 305/946 का जमाबन्दी में रकबा 2.29 हैक्टेयर के स्थान पर कम कर 2.21 हैक्टेयर दर्ज कर दिया तथा नक्शे में 2.1800 हैक्टेयर की तरमीम कर नक्शा जमाबन्दी में दर्ज किये रकबे से भी कम तरमीम कर दी गई। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का रकबा 0.08 हैक्टेयर कम कर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 305 में दर्ज कर दी तथा प्रार्थीगण की भूमि के नक्शे में 0.1100 हैक्टेयर की कम तरमीम कर अप्रार्थीगण के नक्शे में अधिक तरमीम कर दी गई। जिसके आधार अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार हासिल नही हैं। प्रार्थीगण दुरूस्ती व घोषणा व घोषित किये जाने नक्शे में सीमाऐं का डिक्री वहक प्रार्थीगण विरुद्ध अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि, राजस्व टाडावास, पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर के खसरा नम्बर 305/946 रकबा 2.2100 हैक्टेयर के रकबे को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17/2/1992 के अनुसार 2.29 हैक्टेयर (9 बीघा 5 बिस्वा) दर्ज कर प्रार्थीगण के नक्शे की तरमीम को विक्रय पत्र में दर्ज रकबे 2.29 हैक्टेयर बीघा 5 बिस्वा) अनुसार तरमीम दुरूस्त किया जावें। तदानुसार प्रार्थीगण के नक्शे की सीमाऐं गत के अनुसार घोषित कर नक्शे को दुरूस्त किया जावें। दिनांक 10/5/2025 को अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 7 ने एलानियां धमकी दी कि प्रार्थीगण ने उनकी भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसे वह खाली करें अन्यथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया जायेगा। तब प्रार्थीगण ने उन्हें समझाया कि प्रार्थीगण अर्से दराज से जो सीमाचिन्ह प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य अंकित कर रखे उसके अनुसार ही वो काबिज हैं। अप्रार्थीगण की किसी प्रकार की कोई खातेदारी उनके द्वारा अपनी सीमाओं नही मिला रखी है ना ही उस पर कोई अतिक्रमण कर रखा हैं। लेकिन जब अप्रार्थीगण नही माने तो प्रार्थीगण द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड एवं हाल व गत नक्शा प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्हें जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा विक्रय पत्र के विपरीत जाकर रकबा 2.29 हैक्टेयर के स्थान [illegible]00 हैक्टेयर कर दिया तथा नक्शे में 2.1800 हैक्टेयर की ही तरमीम [illegible] छोटा कर दिया प्रार्थीगण की सीमाओं में अप्रार्थीगण संख्या [illegible] अंकित कर दिया हैं। जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसकी भूमि से बेदखल कर भूमि पर कब्जा करने पर उतारू हैं। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य एक समझौता पत्र इकरारनामा दिनांक 21/11/2022 को निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपनी अपनी भूमि की नाप जोख कर पुख्ता तारबन्दी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है उसके बावजूद भी गलत

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व व नक्शे का फायदा उठाकर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा हैं। जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हैं। प्रार्थीगण ने विवादित भूमि की नकलें प्राप्त कर अवलोकन किया तब ही प्रार्थीगण को राजस्व कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यवाही की जानकारी हुई। इससे पहले विवादित भूमि के गलत इन्द्राज की कोई जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। राजस्व कर्मचारियों द्वारा मनमर्जी पूर्वक खसरा नम्बर 305/946 के रकबे 2.2900 हैक्टेयर के स्थान पर 2.2100 हैक्टेयर व नक्शे में तरमीम 2. 2900 हैक्टेयर के स्थान पर 2.2100 हैक्टेयर कर अप्रार्थगण के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई। जिसे प्रार्थीगण दुरूस्त करवाकर गत राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण के नाम उक्त खसरा नम्बर 305/946 रकबा 2. 2900 हैक्टेयर की खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी हैं, तथा इसी अनुसार 2.2900 हैक्टेयर अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उपरोक्त वर्णित स्थिति एंव परिस्थितियों को मद्धे नजर रखते हुए प्रार्थीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की प्राप्त करने के अधिकारी है कि वो प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी ग्राम टाडावास, पटवार क्षेत्र जयसिंहपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर के वादी के खसरा नम्बर 305/946 रकबा 2.2100 हैक्टेयर के रकबे को कम कर व नक्शे में गलत तरमीम कर अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 305 में दर्शाया गया हैं में प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जा–काश्त में अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से बाधा,एवं सीमाचिन्ह नष्ट करने की कार्यवाही नही करें एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब दावा सादर प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश किया हैं, जिसमें प्रार्थीगण / वादीगण को बाद में कतई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 स्वीकार हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि, मदन सिंह पुत्र भंवर सिंह की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नंबर 507 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा में से 9 बीघा 5 बिस्वा को प्रार्थीगण ने 17.02.1992 को कय किया तथा शेष रकबा 9 बीघा 6 बिस्वा प्रार्थीगण सांवर मल, कन्हैया लाल, बाबूलाल, रामलाल व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के पूर्वाधिकारी जीतपाल पुत्रान घासीराम, जाति अहीर, निवासी ग्राम टाडावास, ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.09.1993 को उक्त मदन सिंह से कय की थी। इस प्रकार साबिक खसरा संख्या 507 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा का हैक्टेयर में कन्वर्ट रकबा 4.69 हैक्टेयर होता हैं, जो भुप्रबन्ध विभाग ने प्रार्थीगण के खसरा संख्या 304/937 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 305/946 रकबा 2.21 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested

/ अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 304/945 रकबा 0.06, हैक्टेयर व खसरा संख्या 305 रकबा 2.29 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.69 हैक्टेयर सही रूप से अंकित किये है तथा रकबा भी साबिकानुसार ही दिया गया हैं। अर्थात् दोनो पक्षो की खातेदारी व नक्शे में रकवा पूरा हैं। अब इस प्रकरण में साबिक खसरा नंबर 507 से बने हाल खसरा संख्या 304/945, 305, 304/937 व 305/946 की तरमिम के समय प्रत्येक खसरे में जमाबन्दी के अनुसार रकबा दिया गया हैं या नहीं, इस तथ्य की पुष्टी तहसीलदार जालसू द्वारा प्रेषित रकबा बरारी रिपोर्ट कमांक / एलआर/25/3121 दिनांक 24.07.2025 से होती हैं। तहसीलदार महोदय जालसू द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रकबा बरारी रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 से प्रमाणित है कि, दोनो पक्षो का रकबा सही हैं। वास्तव में इस प्रकरण में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खसरा संख्या 304/937 जिसकी जमाबन्दी में रकबा 0.13 हैक्टेयर हैं, जबकि राजस्व नक्शे में तहसीलदार रिपोर्ट के मुताबिक रकबा 0. 1570 हैक्टेयर हैं, जिससे खसरा संख्या 305/946 में प्रार्थीगण द्वारा जो रकबा कम बताया जा रहा हैं, वह वास्तव में प्रार्थीगण के ही खसरा संख्या 304/937 में सम्मिलित हैं, जिससे यदि प्रार्थीगण के दोनो खसरा नंबरान 304 / 937 305/946 की सम्यक रूप रकबा बरारी की गणना की जावे तो प्रार्थीगण का रकबा राजस्व नक्शे में दोनो नंबरो को मिलाकर, मुताबिक जमाबन्दी पुरा बैठता हैं। प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 304/937 के तथ्यो को छिपाकर, मात्र खसरा संख्या 305/946 के बरारी की दरूस्ती के बाबत कथन किया गया हैं, जो तहसीलदार जालस की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 से प्रमाणित है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार कथन किया हैं, में साबिक रकबे 9 बीघा 5 बिस्वा से हाल खसरा नंबर 305/946 मात्र का अंकन किया हैं, जबकि प्रार्थीगण के खसरा संख्या 304/937 भी साबिक खसरा नंबर 507 से बने हैं। उक्त दोनो नंबरो को मिलाने से प्रार्थीगण का रकबा साबिकानुसार पूरा हैं। प्रार्थीगण ने तथ्य छिपाकर, बनावटी रूप से अभिवचन दर्ज किये हैं, जो स्वीकार नही हैं जिस प्रकार कथन किया गया यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 हैं, कतई गलत हैं, स्वीकार नही हैं। प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। मद संख्या 7 में जिस प्रकार कथन किया गया प्रार्थना हैं, कतई गलत हैं, स्वीकार नही हैं। प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 में जिस प्रकार कथन किया गया। 8 हैं, कतई गलत होने से कतई स्वीकार नही हैं। प्रार्थीगण 9 बीघा 5 बिस्वा के कन्वर्ट रकबे के अधिकारी हैं, जो उनके पास जमाबन्दी व नक्शे में खसरा संख्या 304/937 व 305/946 को मिलाकर, साबिकानुसार ही दर्ज हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 9 में जिस प्रकार कथन किया गया हैं, कतई गलत [illegible] स्वीकार नही हैं। प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। दिनांक 10.05.2025 की घ[illegible] प्रार्थीगण स्वयं अपनी खातेदारी भूमि का खसरा संख्या 304/937 व 305/946 में ही [illegible] दुरूस्त करवा ले तो, उनकी दुरूस्ती पुरी हो जायेगी। मिनजवाबदाता[illegible] साबिक खसरा नंबर 507 रकबा 18 बीघा 11 बिस्वा में से 9 बीघा 6 बिस्वा भूमि कय की गई थी, उसी अनुसार अप्रार्थीगण का रकबा दर्ज व अंकित किया गया हैं, जो तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट दिनांक 24.07.2025 से प्रमाणित हैं, जिससे प्रार्थीगण के समस्त कथन गलत होने से स्वीकार नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:07:37 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
[illegible] जयपुर

प्रकरण संख्या – 61 / 2025
वउनवानी – जगदीश बनाम सांवरमल वगै0
निर्णय दिनांक :– 13.10.2025

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। उभयपक्ष के मध्य सीमा एवं नक्शे का विवाद है तथा यदि प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण, प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर कब्जा या खुर्द–बुर्द करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की प्रबल संभावना है इसलिए प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 23.05.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:07:37 IST
Reason: SelfAttested